संख्या-70/2022/2133 ई-2/तेरह-2022-1533606

प्रेषक,

राजवीर सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ.दिनांक 30 दिसम्बर, 2022

विषय-मेसर्स आर.सी.पी. डिस्टिलरीज (इण्डिया) प्रा.लि., खसरा नं. 564, सरधना-बरनावा रोड, ग्राम-खिवई, ब्लाक-सरूरपुर, तहसील-सरधना, जनपद मेरठ को 18 लाख लीटर वार्षिक विश्लेषणात्मक श्रेणी और एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल का प्रसंस्करण तथा बोतल भराई किये जाने हेतु संयंत्र स्थापित किये जाने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-256/दो-प्रा.डी.-257/एफएल-50/आर.सी.पी., दिनांक 21-12-2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 21-12-2022 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स आर.सी.पी. डिस्टिलरीज (इण्डिया) प्रा.लि., खसरा नं. 564, सरधना-बरनावा रोड, ग्राम-खिवई, ब्लाक-सरूरपुर, तहसील-सरधना, जनपद मेरठ को 18 (अठारह) लाख लीटर वार्षिक विश्लेषणात्मक श्रेणी और एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल का प्रसंस्करण तथा बोतल भराई किये जाने हेतु संयंत्र स्थापित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश विश्लेषणात्मक श्रेणी और एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल प्रसंस्करण तथा बोतल भराई लाइसेंस नियमावली, 2022 में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इकाई को पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन, अग्निशमन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से उचित लाइसेंस/अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(3) इकाई द्वारा नियमानुसार अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा प्लान्ट चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(4) इकाई द्वारा गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए प्रसंस्करण तथा बोतल भराई सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) आबकारी आयुक्त द्वारा इकाई से उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in